

उत्तराखण्ड शासन  
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग  
संख्या: 2599 /XVII(4)/2011/230/10  
देहरादून, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून के कार्यों के संचालन हेतु उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2011 के नियम-5 के अधीन आयोग के अध्यक्ष के पद पर श्री अजय सेतिया, सी0 11, सन्नीलेक व्यूव, सातताल रोड़ भवाली, नैनीताल की तैनाती/नियुक्ति एतद्वारा की जाती है।

2— उक्तानुसार नियुक्त आयोग के अध्यक्ष का वेतन, देय भत्तो व सेवा की अन्य शर्तें/सुविधायें कार्यालय ज्ञाप संख्या 2569 /XVII(4)/2011 /230/10TC दिनांक 21-12-2011 के अनुसार होंगी।


आज्ञा से,

डा० हेमलता ढौँडियाल  
सचिव

संख्या: 2599(1) /XVII(4)/2011 / तददिनांक।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समिति के मा० अध्यक्ष।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग।
7. निदेशक, आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी/कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
9. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग- 4, खण्ड (ख) में मुद्रित कराने तथा इसकी 200 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(डा० हेमलता ढौँडियाल)  
सचिव